न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/4257/2001/पाली

1 लखमाराम पुत्र खीमाजी (मृतक) जरिये वारिसान
1/1 सुखी देवी पत्नी लखमाराम
1/2 मीठालाल पुत्र लखमाराम
1/3 मलेश पत्रु लखमाराम
1/4 पंकू पुत्री लखमाराम
1/5 दारमी पुत्री लखमाराम
1/6 गंगा पुत्री लखमाराम
1/7 उषा पुत्री लखमाराम
1/8 अन्सी पुत्री लखमाराम
1/9 भावना पुत्री लखमाराम
2 बरदीबाई पुत्री खीमाजी
3 प्यारी बाई पुत्री खीमाजी
4 गोपीबाई पुत्री खीमाजी
5 लक्ष्मीबाई पुत्री खीमाजी सभी जाति माली निवासी भारून्दा तहसील सुमेरपुर जिला पाली

अपीलार्थीगण

बनाम

1 गोमा पुत्र पूना (मृतक) जरिये वारिसान
1/1 धर्मा पुत्र गोमा
1/2 मोडा पुत्र गोमा
1/3 जसा पुत्र गोमा
1/4 रतीया पुत्र गोपा
1/5 मन्जू पुत्री गोमा पत्नी रतजीलाल निवासी जोगापुरा
1/6 विमला पुत्री गोमा पत्नी बाबूराम निवासी पावटा तहसील आहौर
1/7 कन्हैया पुत्री गोमा पत्नी छगनलाल निवासी नाणा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री डूंगरसिंह वकील अपीलार्थीगण
श्री रजनीश राजपुरोहित वकील प्रत्यर्थी संख्या 1/2

निर्णय

दिनांकः.22.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या 12/2000 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण मृतक लखमाराम व मृतक धनी वर्तमान अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारियों ने एक वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, देसूरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भारून्दा स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 3 बिस्वा, 342 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति खीमा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। खीमा के कोई पुत्र नहीं होने से वादी संख्या 2 ने वादी संख्या 1 को अपने मृत पति खीमा के गोद लिया जिसकी लिखत दिनांक 8.8.66 को लिखकर पंजीकृत करा दिया। खीमा की मृत्यु वाद दायरी से 11 वर्ष पूर्व हुई। पहले खीमा काश्त करता था उसकी मृत्यु के बाद 2 वर्ष वादीनी संख्या 2 ने काश्त करवाई एवं सम्वत 2014 के आषाढ माह में प्रतिवादीगण ने वादीनी का कब्जा हटाकर अपना कब्जा कर लिया जो बिना विधिक आधार के हैं। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

3. प्रतिवादी संख्या 1 मृतक गोमा ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया एवं विवादित आराजी छुटभाई जागीरदार पाबूसिंह भारून्दा की जागीर की होना एवं जागीरदार द्वारा बापी पटटे पर उसे दी जाना तथा खीमा द्वारा सेटलमेन्ट में अधिकारियों से मिलकर परचा प्राप्त कर लेना कथन करते हुए सम्वत 2000 से विवादित भूमि पर स्वंय का कब्जा काश्त होना कथन किया।

4. विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 7 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 18.11.99 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी गोमा ने राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने निर्णय दिनांक 31.3.2001 से अपील स्वीकार कर ली। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह साबित है कि विवादित भूमि का पर्चा लगान खीमा के नाम जारी हुआ तथा खतोनी जमाबन्दी, खसरा गिरदावरियों, आदि में खीमा की खातेदारी की होना पूर्णतया साबित है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना किसी आधार के ही विवादित भूमि को खीमा की खातेदारी की नहीं होना माना है जो तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत है।

6. प्रतिवादी प्रत्यर्थी के पक्ष में जागीरदार द्वारा दिया गया पटटा बताया गया है परन्तु यह पटटा किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। जागीरदार द्वारा पटटा जारी करना नहीं बताया गया है तथा पटटा बही प्रस्तुत नहीं की गई है। पटटे के आधार पर कभी भी खातेदारी लेने का प्रयास ही नहीं किया गया है। जागीर पुनर्ग्रहण पर ऐसी पटटा बही एवं रेकर्ड सरकार में जमा होता था जो सरकार में जमा होने से भिन्न हो, वह प्रथमदृष्टया अस्वीकार्य होता है।

7. लखमा को गोद लिया जाना व दिया जाना साक्ष्यों से साबित है। गोदनामा पंजीकृत है तथा गवाहों के बयानों से गोद जाना साबित है। जिससे सिविल न्यायालय से इस बिन्दु को तय कराने की आवश्यकता ही नही है। विधवा को पति की मृत्यु पश्चात गोद लेने का अधिकार है। इसमें तीसरे व्यक्ति की व्यथा वैसे भी मान्य नही होती है।

8. अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने खीमा की मृत्यु के बाद विवादित भूमि उसकी पत्नी में निहित नहीं होकर भाईयों में निहित होना माना है जो अनुचित एवं निराधार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विधवा को विरासत अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व प्राप्त था और अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने पर पूर्णतया पुष्ट होकर मिल गये। मारवाड टिनेन्सी एक्ट में भी विधवा को विरासत का अधिकार भाईयों से पहले था।

9. मृतक खीमा की पत्नी धनी ने अपीलार्थी संख्या 1 मृतक लखमा को दिनांक 8.8.66 को गोद लिया जिससे उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है। तनकी संख्या 2 में गोदनामा पंजीकृत होने से पूर्णतया सिद्ध है एवं खीमा की पत्नी ने रिति रिवाज के अनुसार अपीलार्थी को गोद लिया है जिससे गोद का बिन्दु सक्षम सिविल न्यायालय से साबित कराने की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय उचित है। गोदनामे को चुनौति प्रतिवादी द्वारा दी गई है जिससे पंजीकृत गोदनामे को

निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में प्रतिवादी को जाना चाहिये जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसके उलट निर्णय दिया है।

10. साक्ष्यों से यह साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्यर्थी द्वारा विवादित भूमि सम्वत 2014 में अतिक्रमण किया गया है एवं उससे पूर्व खीमा खातेदार होकर काबिज होना तथा उसकी मृत्यु के बाद दो वर्ष तक नरसा के माध्यम से काश्त की जाना साक्ष्यों से साबित है। दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत मौखिक साक्ष्य को महत्व नहीं दिया जा सकता। दावा अन्दर अवधि प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकियात पर स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है जिससे वह निरस्त योग्य है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

11. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में ए.आई.आर. 1967 (एस.सी.) 1761, 1995 आर.आर.डी. पेज 603, 1993 आर.आर.डी. पेज 443, 1988 आर.आर.डी. पेज 470, ए.आई.आर. 1992 (बोम्बे) 189 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

12. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1/2 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि छुटभाई जागीरदार पाबूसिंह की थी जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। पाबूसिंह द्वारा बापी पटटे पर प्रतिवादी गोमा को दी गई है जो साक्ष्यों से साबित है। पटटे के लिखने वाले की मृत्यु हो जाने से लेखक के पुत्र के बयान करा इसे साबित कराया है।

13. खीमा ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि अपने नाम दर्ज कराई है जो अनुचित एवं निराधार है। खीमा की मृत्यु सम्वत 2012 से पूर्व ही हो गई एवं विवादित भूमि पर प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। खीमा की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व होने से उसकी कृषि भूमि उसकी बेवा को प्राप्त नहीं होकर उसके भाईयों को प्राप्त होगी जिससे खीमा की मृत्यु के बाद उसकी बेवा धन्नी को विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा उसे गोद लेने का अधिकार भी नहीं रहता है।

14. जब धन्नी को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो उसके गोदपुत्र लखमा को कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं हो सकते। गोद का बिन्दु सक्षम सिविल न्यायालय से ही तय कराया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी तनकियात पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित होने से यह अपील खारिज की जावे।

15. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपने तर्को के समर्थन में ए. आई.आर. (29) 1942 प्रिवी कौंसिल 64, 1974 ए.आई.आर. (एस.सी.) 878, 1983 डब्ल्यू.एल.एन. (यू.सी.) 476, 1942 पी. सी. 64, 1959 एस.सी.आर. सप्ली.(2) 476, ए.आई.आर. 1968 एस.सी. पेज 1165, 1966 एस.सी.आर.(1) 753, 1961 आर. एल.डब्ल्यू. पेज 479, 1961 आर.आर.डी. पेज 109, 1963 आर.आर.डी. पेज 250, 1967 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 353, 1974 आर.आर.डी. पेज 281, 1977 आर.आर.डी. 1 (एफ.बी.), 1978 आर.आर.डी. पेज 160, 1976 एस.सी. 2011, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 340, 1955 एसव.सी.आर. 117, 2003 (8) एस.सी.सी. 740 (745), 2003 (1) एस.सी.सी. पेज 488 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

16. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तथा विद्वान वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

17. विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए विवादित आराजीयात मृतक खीमा के खातेदारी की होना तथा वादी संख्या 1 को गोद लिया जाना एवं पटटा साबित नहीं होना मानकर वाद को अन्दर अवधि मानते हुए स्वीकार कर डिक्री किया गया है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की अथवा कब्जे की हो सकती है, भू प्रबन्ध द्वारा इन्द्राज के आधार पर खीमा की नहीं मानी जा सकती, गोद का व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेवा एवं पुत्रियों को हक व अधिकार प्राप्त होते हैं , सिविल न्यायालय से तय कराने तथा जागीरदार का पटटा साबित होना मानते हुए अपील स्वीकार की है।

18. इस प्रकरण में तनकी संख्या 1 महत्वपूर्ण होकर इस आशय की है कि आया मृतक खीमा विवादित आराजीयात का खातेदार था। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी प्रदर्श पी–14 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2009 से 2028 में विवादित भूमि खीमा वल्द पुना माली की खातेदारी में दर्ज है। पी–15 खतौनी सम्वत 2048 से 51 में लखमा गोद खीमाराम माली खातेदार दर्ज है। प्रदर्श पी 16 जमाबन्दी भू प्रबन्ध सम्वत 2036 से 2056 में लखमाराम खातेदार दर्ज है। सम्वत 2028 से 31 प्रदर्श पी 17 जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 में धनी बेवा खीमा खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 प्रदर्श पी 18 में खीमा खातेदार दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 255 से खीमा के फोत होने पर उसकी बेवा धनी खातेदार दर्ज किये जाने का नोट अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2023 प्रदर्श पी 19 में खीमा खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 प्रदर्श पी 20 में खीमा खातेदार दर्ज है। परचा लगान

सेट्लमेन्ट विभाग अवधि बन्दोबस्त सम्वत 2009 से 2028 प्रदर्श पी 2 में खीमा वल्द पूना का नाम कृषक (खातेदार) के रूप में दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी 20 में खीमा का नाम दर्ज है। प्रदर्श पी 11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 में नरसा पुत्र पुना की काश्त दर्ज है।

19. उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों यह पूर्णतया साबित है कि विवादित भूमि खीमा के खातेदारी में भू प्रबन्ध सम्वत 2009 से 2028 के समय दर्ज रही हैं तथा खीमा की मृत्यु के बाद उसकी बेवा धन्नी के खातेदारी में तथा उसके बाद उसके गोद पुत्र लखमा के खातेदारी में दर्ज रहीं है। विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त खीमा का रहा है तथा सम्वत 2014 की खसरा गिरदावरी के अनुसार नरसा ने काश्त की है।

20. इसके विपरीत प्रतिवादी प्रत्यर्थी के नाम छुटभाई जागीरदार का पटटा होना बताया गया है। इस पटटे को साबित कराने हेतु प्रतिवादी ने केवल इसके लेखक के पुत्र के बयान कराये हैं। पटटे को साबित कराने हेतु किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। पटटा बही भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि वास्तव में यह पटटा जागीरदार द्वारा जागीरदार के रूप में इस निमित सक्षम समयावधि में ही जारी किया गया हो। तथा जागीर पुनर्ग्रहण के समय यह अभिलेख जमा हुआ हो तथा वहां इसका संदर्भ उपलब्ध हो। साथ ही जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व भी अभिलेख विद्यमान नहीं रहा हो, ऐसा सप्रमाण कथन नहीं है तो उस समय पटटे का अभिलेख में अमल क्यों नहीं कराया, यह स्थिति पटटे की साक्ष्य स्थिति के क्षरण/ह्रास/कमतरता को प्रकट करती है।

21. यह भी स्पष्ट है कि इस पटटे के आधार पर प्रतिवादी प्रत्यर्थी द्वारा स्वंय को खातेदार दर्ज कराने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य निविर्वाद रूप से साबित है कि विवादित भूमि खीमा के खातेदारी की थी एवं वर्तमान में उसके वारिस वादीगण की खातेदारी की है। अतः तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी अपीलार्थी के पक्ष में किया जाता है।

22. तनकी संख्या 2 इस आशय की है कि आया वादी संख्या 1 मृतक खीमा का गोदपुत्र हैं। तनकी संख्या 6 भी इससे संबंधित होकर इस आशय की है कि वादी संख्या 1 का गोद वादोतर के पैरा संख्या 2 में अंकित अनुसार नाजायज है। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि गोदनामा पंजीकृत प्रस्तुत किया गया है एवं यह दिनांक 8.8.66 का है। गोद दिया जाना व लिया जाना मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया गया है। लखमा गोदपुत्र खीमा के प्राकृतिक पिता ने गोद दिया जाना कहा है तथा गवाहों ने भी

इसकी पुष्टि की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी संख्या 1 को विधिवत गोद लिया गया है एवं गोदनामा पंजीकृत है। प्रतिवादी का यह तर्क कि गोद नाजायज है, किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। गोद किस प्रकार नाजायज है, इसे साबित नहीं किया गया है।

23. प्रतिवादी का यह तर्क रहा है कि खीमा की मृत्यु सम्वत 2012 से पूर्व हो गई एवं उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी नहीं होने से खीमा की बेवा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जिससे उसके द्वारा गोद लिया जाना विधि अनुरूप नहीं है, मानने योग्य नहीं है। प्रथम तो खीमा की मृत्यु सम्वत 2012 से पूर्व होना स्पष्ट रूप से साबित नहीं कराया गया है। प्रतिवादी के किसी भी गवाह ने खीमा की मृत्यु कब हुई स्पष्ट रूप से नही बताया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि खीमा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हुए एवं वह गोद लेने की अधिकारीणी नहीं थी। इसके विपरीत 1995 आर.आर.डी. पेज 603 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार खातेदार की मृत्यु के बाद सम्पति में हिन्दू विधवा को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विधवा को पूरे अधिकार प्रदान करते हैं।

24. इससे यह स्पष्ट है कि खीमा की मृत्यु के बाद उसकी बेवा को विवादित भूमि पर सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये एवं उसके द्वारा लखमा को गोद लिया गया एवं गोदनामा पंजीकृत कराया गया है। अतः खीमा की आराजीयात उसकी बेवा को प्राप्त होना एवं बेवा द्वारा लखमा को पंजीकृत गोदनामा से गोद लिया जाना साबित है। अतः यह तनकी संख्या 2 भी वादी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है। इसके साथ ही तर्क के लिए भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हिन्दु विधियों में एवं मारवाड टिनेन्सी एक्ट में विधवा को विरासत का अधिकार प्राप्त था।

25. तनकी संख्या 3 इस आशय की है कि बेरा भादरा छुटभाई जागीदार पाबूसिंह के बंट में विवादित भूमि (बेरा) था जो सम्वत 2000 के बैसाख सुद्व 13 को प्रतिवादी संख्या 1 को टिनेन्ट एडमिट किया गया। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा मात्र पटटा (परवाना) ही प्रस्तुत किया गया है तथा इसे जारी किया जाना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। जागीदार को उसकी जागीर अधिग्रहित होने तक ही पटटे देने का अधिकार था एवं पटटे जारी करने पर उनका इन्द्राज पटटा बही में किया जाता था। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे पटटा जागीरदार द्वारा विधिवत रूप से जारी किया जाना साबित होता हो। मौखिक साक्ष्य में भी प्रतिवादी ने

केवलमात्र इसके लेखक के पुत्र के बयान कराये हैं जिसने लिखावट को पहचाना हैं।

26. यह भी स्पष्ट है कि यह पटटा सम्वत 2000 में जारी किया जाना बताया गया है परन्तु प्रतिवादी द्वारा इसके आधार पर खातेदारी दर्ज कराने की कार्यवाही आज दिन तक नहीं की गई है। जागीर पुनर्ग्रहण पर जमा होने वाले अभिलेख में इसका क्या संदर्भ है तथा तब दर्ज क्यों नहीं कराया, इसे युक्तियुक्त रूप से प्रकट/साबित नहीं किया है। जिससे यह पटटा संदेहास्पद हो जाता है। पटटा प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी द्वारा लगान आदि दिया जाना भी साबित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्व किया जाता है।

27. तनकी संख्या 4 इस आशय की है कि प्रतिवादी ने सम्वत 2014 आसाढ में आराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया। इस संबंध में प्रतिवादी का कब्जा है कि उसका कब्जा सम्वत 2000 से पटटा प्राप्त करने के समय से ही चला आ रहा है। परन्तु प्रतिवादी द्वारा इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। मौखिक साक्ष्य से भी प्रतिवादी कासम्वत 2012 से कब्जा काश्त होना साबित नहीं होता है। वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 – 2014 में नरसा का कब्जा काश्त अंकित है। वादीगण ने अपने वाद में यह कथन लिया है कि खीमा की मृत्यु के बाद दो वर्ष तक नरसा से काश्त कराई एवं उसके बाद प्रतिवादी ने सम्वत 2014 के आसाढ में नाजायज कब्जा कर लिया। इससे यह स्पष्ट है कि सम्वत 2014 से पूर्व प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। सम्वत 2012 तक खीमा द्वारा काश्त की गई है एवं उसकी मृत्यु के बाद सम्वत 2013–14 में नरसा द्वारा काश्त की गई है। इसके बाद प्रतिवादी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। सम्वत 2014 से पूर्व प्रतिवादी गोमा की काश्त होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं होती है जिससे इस तनकी का निर्णय भी प्रतिवादी के विरूद्व किया जाता है।

28. तनकी संख्या 5 इस आशय की है कि विवादित भूमि पर खीमा के जीवनकाल में उसका व बाद में सम्वत 2014 तक वादीनी मु0 धन्नी बेवा खीमा का कब्जा काश्त रहा है। उपर तनकी संख्या 4 में किये गये विवेचन के अनुसार सम्वत 2014 तक खीमा व उसके बाद उसकी बेवा की ओर से नरसी द्वारा काश्त की जाना खसरा गिरदावरी से साबित है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 4 के निर्णय के अनुसार इस तनकी का निर्णय भी वादी के पक्ष में किया जाता है। साथ ही विधवा महिला किसी अन्य के द्वारा काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काश्त करा सकती है।

29. हिन्दू दत्तक तथा भरणपोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसार लखमा को गोद लेने में कोई विधिक बाधा होना सप्रमाण कथित नहीं किया गया है। अपितु गोद को विधि अनुसार कथित किया गया है। धारा 8 के अनुसार धन्नी दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती थी।

30. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम दिनांक 17 जून, 1956 को प्रभाव में आया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार हिन्दु नारी की सम्पति उसकी आत्यन्यिकत (absolute) सम्पति होगी तथा धारा 15 के अनुसार निर्वसीयत मरने पर प्रथमतः पुत्रों व पुत्रियों को जाएगी। दत्तक पुत्र इस प्रयोजन से पुत्र है। उसके रहते अन्य वारिस/पति के वारिसान उस पर अधिमान प्राप्त नहीं करेगें। मारवाड टिनेन्सी एक्ट, 1949 की धारा 14(1)(ए) के परंतुक व्यवस्था अनुसार विधवा के रहते भाई विरासत नहीं लेगा।

31. अब जहां तक धारा 63(1)(iv) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रश्न है, प्रथम तो प्रतिवादी का कब्जा कब होस्टाईल हुआ यह स्पष्ट कथन सप्रमाण प्रतिवादी का नहीं था। साथ ही बापी पटटे से कब्जे में आना व प्रतिकूल कब्जा दोनो ही विरोधाभाषी है। इसके अतिरिक्त वादीनी के अनुसार 11 वर्ष पूर्व कब्जा दिया वह परिसीमा अधिनियम के अनुसार प्रतिकूल कब्जे हेतु पर्याप्त नहीं है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी मिलने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। तथा वादिनी विधवा होने से अन्य द्वारा काश्त करा सकती है एवं विधवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संरक्षणात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत आती है जो कि सामाजिक विधान का भाग है। ऐसी स्थिति में प्रथमतः तो प्रतिकूल एवं होस्टाईल (पक्षद्रोही) कब्जे हेतु कथन सप्रमाण सिद्व नहीं थे। द्वितीय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर टिनेन्सी प्रोद्भूत होने का प्रावधान नहीं है तथा बापी पटटा एवं प्रतिकूल कब्जे के विरोधाभाषी कथन प्रतिवादी के कथनों को संदिग्ध करते है। ऐसी स्थिति में वादिनी कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी थी।

32. उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवादित भूमि खीमा के खातेदारी की होना तथा सम्वत 2012 में खीमा की मृत्यु होना एवं उसके बाद सम्वत 2014 तक खीमा की बेवा द्वारा काश्त कराया जाना तथा लखमा को पंजीकृत गोदनामा से गोद लिया जाना एवं गोद विधि अनुरूप होना तथा प्रतिवादी द्वारा सम्वत 2014 के आषाढ में नाजायज कब्जा कर लिया जाना साबित होता है। वादीया अपीलार्थीगण ने यह वाद दिनांक 13.7.68 को प्रस्तुत किया है जो अन्दर अवधि होने से डिक्री किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में

विचारण न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से हम उसे बहाल रखना न्यायोचित समझते हैं।

33. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय व डिक्री दिनांक 131.1.2001 निरस्त किये जाते हैं एवं सहायक कलक्टर, देसूरी के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.99 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
सदस्य